

कांरा बैंक Canara Bank
A Government of India Undertaking

मॉग सूचना
क्षेत्रीय कार्यालय : अलीगढ़

सिवयोरिटाइजेशन एण्ड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फाइनेशियल एस्टेट्स एण्ड एन्फोर्समेंट आफ सिवयोरिटी इन्डरस्ट एक्ट 2002 की धारा 13(2) के अन्तर्गत नोटिस

निम्नलिखित सम्बन्धित श्रेणियों द्वारा बैंक के पक्ष में उनके अथवा उनके जमानतदारों द्वारा निम्नलिखित प्रतिभूतियों अनुपेक्षी सम्पत्ति जो केनरा बैंक के पक्ष में सुरक्षा हित बनाने के आधार पर ऋण सुविधाएँ प्रदान की गई थीं। आपके द्वारा बैंक के पक्ष में शीर्षक विलेख के माध्यम से सुरक्षा हित बनाने हेतु बंधक रखी गयी सम्पत्ति जिसका विवरण निम्नलिखित है। जैसा कि ऋणकर्ता एवं उनके जमानतदारों द्वारा देयताएँ/बकाया धन राशि अदा न करने के कारण उनके खाते को भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार एन.पी.ए. श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। बैंक ने बकाया राशि के भुगतान हेतु पंजीकृत डाक द्वारा मॉग नोटिस भेजा गया था जो कि बिना हिलीवरी वापस आ गये हैं। अतः बैंक यह सूचना आपको अखबार के प्रकाशन के माध्यम से दे रहा है।

| ऋणकर्ता व जमानतदारों का नाम एवं पता | सम्पत्ति का विवरण | मॉग नोटिस दिनांक | मॉग नोटिस की रकम (₹) |
|--|---|--------------------------|-------------------------------------|
| शाखा: अलीगढ़ मेन, अलीगढ़ | | | |
| ऋणी- 1. मेसर्स दिनेश फुटवियर (प्रोप.- श्रीमती शशि अग्रवाल C/o राम रूप अग्रवाल), पता- रेलवे रोड, अलीगढ़, 2. श्री विकास कांफर्टेज, समर रोड, अलीगढ़, 3. श्री विकास कांफर्टेज पुत्र नरेंद्र बाण्ये, गार्डर- श्रीमती कल्पना बाण्ये पत्नी नरेंद्र बाण्ये, दोनों का पता- 366, चंदनिया कंपाउंड, कोल, अलीगढ़ | संपत्ति नंबर: 7/56, दूसरी मंजिल, युभाष रोड, मामू भोंजा, एरिया: 118.62 वर्ग मीटर, संपत्ति श्रीमती शशि अग्रवाल पत्नी दिनेश कुमार अग्रवाल के नाम पर, चौहट्टी: पूर्व- गली मामू भोंजा, परिचय: प्रो.वे.के.न. उता: बी के वृत्र का मकान, दक्षिण: विमला देवी की संपत्ति | 08/02/2026 | 11,68,468.26 + ब्याज व अन्य खर्च |
| शाखा: रामघाट रोड, अलीगढ़ | | | |
| ऋणी- 1. मेसर्स नरेंद्र पन्ना लाल फार्मसी एंड सर्विकल (प्रोप. विकास बाण्ये), पता- II फ्लोर, को-4, नरेंद्र निलियन, वैष्णो कंपाउंड, समर रोड, अलीगढ़, 2. श्री विकास कांफर्टेज पुत्र नरेंद्र बाण्ये, गार्डर- श्रीमती कल्पना बाण्ये पत्नी नरेंद्र बाण्ये, दोनों का पता- 366, चंदनिया कंपाउंड, कोल, अलीगढ़ | रो भंजिका फार्म हाउस धरम खनर नं. 428 का भाग गाँव नौहाटी स्थित इण्डियन पेट्रोल पम्प के बहुत पास एवं 60-0 चौड़ा अलीगढ़ आगरा रोड में 50 मीटर अन्दर, गार्डर राजमार्ग नं. 509, फरगना एवं तहसील कोल जिला अलीगढ़, एरिया: 836.12 वर्ग मीटर, संपत्ति श्रीमती कल्पना बाण्ये के नाम पर, चौहट्टी: पूर्व- अन्य का प्लॉट, परिचय- 25-0 चौहट्टी सड़क, उत्तर- श्रीमती कल्पना बाण्ये का दूसरा फार्म हाउस, दक्षिण- पालिका की खुली जमीन | 09/02/2026 | 26,20,526.91 + ब्याज व अन्य खर्च |
| दिनांक: 13-02-2026 | स्थान: अलीगढ़ | प्राधिकृत अधिकारी | |

इंडियन बैंक Indian Bank
ALLAHABAD

कॉर्पोरेट कार्यालय, चेन्नै

इंडियन बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र के अग्रणी बैंक ने एंटरप्राइज डेटा लेकहाउस सॉल्यूशन की आपूर्ति, संस्थापन, कार्यन्वयन, एकीकरण और अनुपस्थापन हेतु आरएफपी जारी किया है। इच्छुक पार्टियों विस्तृत विवरण हेतु कृपया बैंक की वेबसाइट: <https://www.indianbank.bank.in/sanders> एवं GeM portal देखें।

"प्रपत्र संख्या INC-26"
कंपनी (स्थापना) नियम, 2014 के नियम 30 के अंतर्गत

केन्द्रीय सरकार के समक्ष, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप-धारा (4) तथा कंपनी (स्थापना) नियम, 2014 के नियम 30 की उप-नियम (5) के खंड (क) के अंतर्गत एवं

KEY COMMUNICATIONS PRIVATE LIMITED

के विषय में (CIN: U74999DL2016PTC299847) जिसका पंजीकृत कार्यालय स्थित है: X-973/128/64, चाँद मोहल्ला, गांधी नगर, पूर्वी दिल्ली, नई दिल्ली, दिल्ली, भारत - 110031

... आवेदक कंपनी (दायिकाकर्ता) एतद्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक कंपनी कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने का प्रस्ताव रखती है, जिससे कंपनी के मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन में संशोधन की पुष्टि प्राप्त की जा सके या संशोधन कंपनी की असाधारण आम सभा, जो शुक्रवार, 14 नवम्बर 2025 को आयोजित की गई थी, में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार किया गया है, जिसके माध्यम से कंपनी अपने पंजीकृत कार्यालय को "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (NCT of Delhi)" से "उत्तर प्रदेश राज्य" में स्थानांतरित करना चाहती है।

कोई भी व्यक्ति, जिसका हित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से प्रभावित होने की संभावना हो, वह इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 14 दिनों के भीतर अपनी आपूर्ति/शायद (एफिडेवित) सहित, जिसमें उसके हित का स्वयंसेवक आधारित के आधार स्पष्ट रूप से अंकित हो, निम्न में से किसी एक माध्यम से प्रस्तुत कर सकता/सकती है: MCA-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत प्रपत्र दाखिल करके, अथवा क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, बी-2 विंग, द्वितीय तल, प. दीनानाथ अय्योय्य भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली - 110003 को पंजीकृत कार्यालय के पते पर भी भेजनी होगी, जिसका पता निम्नानुसार है: X-973/128/64, चाँद मोहल्ला, गांधी नगर, पूर्वी दिल्ली, नई दिल्ली, दिल्ली, भारत - 110031

आवेदक की ओर से एवं उसके behalf पर
KEY COMMUNICATIONS PRIVATE LIMITED
Sd/-
गुरविंदर कौर पोपली
निदेशक
दिनांक: 13.02.2026
स्थान: नई दिल्ली
DIN: 07468692

कांरा बैंक Canara Bank
A Government of India Undertaking

आतिथ्य वसूली प्रबंधन II, दिल्ली
ए-27, 1वां तल, हौज खास, नई दिल्ली-110016

कच्चा सूचना
(अवल संपत्ति के लिए) [नियम 8 (1) देखें]

जैसा कि वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत केनरा बैंक के अधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने एक मॉग सूचना दिनांक 07.03.2020 जारी कर ऋणधारकों मिसर्स श्री ऑटोमोबाइल को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि रु. 57,02,518.19 (रुपये सत्तानव लाख दो हजार पांच सौ अठारह और उन्नीस पैसे मात्र) तथा अ-प्रभाति ब्याज, उसकी वसूली और बैंक द्वारा किए गए खर्चों के भुगतान करने के लिए निर्देश दिया था।

ऋणधारक/गार्डर उक्त राशि का भुगतान करने में विफल रहे, अतः एतद्वारा ऋणधारक/गार्डर एवं आम जनता को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के तहत उन्हे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आज दिनांक 11.02.2026 को नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा ले लिया है।

एतद्वारा विशेष रूप से ऋणधारकों/गार्डर एवं आम जनता को सावधान किया जाता है कि वे इस संपत्ति के साथ किसी भी प्रकार का लेन-देन न करें तथा संपत्ति का किसी भी प्रकार का लेन-देन रु. 57,02,518.19 (रुपये सत्तानव लाख दो हजार पांच सौ अठारह और उन्नीस पैसे मात्र) तथा अनुबंधित दर पर आगे के ब्याज, लागत, शुल्क और भुगतान की तिथि तक होने वाले खर्चों के लिए केनरा बैंक, एआरएम-II शाखा के प्रभारके अधीन होगा।

अचल संपत्ति का विवरण
श्रीमती देवा पत्नी श्री श्रीपल के स्वामित्व में आवासीय घर के भूमि और भवन का न्यायसंमत बंधक, जिसकी नगर पालिका सं. 243 है, जिसका क्षेत्रफल 200 वर्ग गज यानी 167.22 वर्ग मी. है जो खसरा नं. 744-1, प्रवाह नगर (फुलिस लाइन), हरसाँव, गाँजियाबाद में स्थित है।

दिनांक: 11.02.2026, स्थान: उत्तर प्रदेश
अधिकृत अधिकारी, केनरा बैंक

रौनक इंटरनेशनल लिमिटेड
(पूर्व नामित रौनक ईपीसी इंटरनेशनल लिमिटेड)

पंजीकृत कार्यालय: 20 कि.मी. मधुरा रोड, पो. ओ. अमर नगर, फरीदाबाद-121003 (हरियाणा)
ई-मेल: info@raunagintl.com वेबसाइट: www.raunaginternational.com
सीआईएन: L51909HR1965PLC034315

31 दिसम्बर, 2025 को समाप्त तिमाही एवं नौ माह की अवधि के लिए वित्तीय परिणामों का वर्णन
(₹ लाखों में)

| क्र. सं. | विवरण | समाप्त तिमाही | | | समाप्त नौ माह की अवधि | | |
|----------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| | | 31.12.2025 (अनअंकेक्षित) | 30.09.2025 (अनअंकेक्षित) | 31.12.2024 (अनअंकेक्षित) | 31.12.2025 (अनअंकेक्षित) | 31.12.2024 (अनअंकेक्षित) | 31.03.2025 (अंकेक्षित) |
| 1. | परिचालनों से कुल आय | 887.47 | 1,059.11 | 408.43 | 2,919.02 | 1,093.63 | 2,206.43 |
| 2. | अवधि के लिए कर से पूर्व शुद्ध लाभ/(हानि) (अपवादित एवं/अथवा असाधारण वस्तुओं से पूर्व) | (87.13) | 92.63 | 24.01 | 136.04 | 75.22 | 99.83 |
| 3. | अवधि के लिए कर से पूर्व शुद्ध लाभ/(हानि) (अपवादित एवं/अथवा असाधारण वस्तुओं के बाद) | (87.13) | 92.63 | 24.01 | 136.04 | 75.22 | 99.83 |
| 4. | अवधि के लिए कर के पश्चात् शुद्ध लाभ/(हानि) (अपवादित एवं/अथवा असाधारण वस्तुओं के बाद) | (50.46) | 83.24 | 23.46 | 121.76 | 67.27 | 121.94 |
| 5. | अवधि के लिए कुल व्यापक आय [जिसमें अवधि के लिए लाभ/(हानि) (कर के बाद) एवं अन्य व्यापक आय (कर के बाद) शामिल हैं] | (50.59) | 83.11 | 24.11 | 121.37 | 69.23 | 121.42 |
| 6. | समता अंश पूंजी | 334.32 | 334.32 | 334.32 | 334.32 | 334.32 | 334.32 |
| 7. | अन्य इक्विटी | | | | | | 439.46 |
| 8. | प्रतिशय आय ₹10/- प्रत्येक (*अवार्धिकृत) मूल एवं तरल | *(1.51) | *2.49 | *0.70 | *3.64 | *2.01 | 3.65 |

टिप्पणियाँ:

- उपरोक्त सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) अधिनियम, 2015 के अधिनियम 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंज में दायर किए गये 31 दिसम्बर, 2025 को समाप्त तिमाही एवं नौ माह की अवधि के अनअंकेक्षित वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक उद्घरण है। समाप्त तिमाही एवं नौ माह की अवधि के अनअंकेक्षित वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com एवं कंपनी की वेबसाइट www.raunaginternational.com पर उपलब्ध है।
- उपरोक्त वित्तीय परिणामों को अंकेक्षण समिति द्वारा समीक्षाकृत एवं सिफारिश के पश्चात् 12 फरवरी, 2026 को आयोजित निदेशक मंडल की बैठक में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है।

तिथि : 12 फरवरी, 2026

निदेशक मंडल के लिए एवं उनकी ओर से
हस्ता/-
सुदितर पॉल कंबर
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

IS 15706:2018
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधीक्षण अधिकारी, अयोध्या प्लॉट
आवास कायदेबन्ध, प्रथम तल, अग्रणीय योजना, अयोध्या-224001
Email: upavp.ayodhya@gmail.com

पत्रांक-276/एम-10/61 दिनांक- 12.02.2026

ई-विधि/ई-कोटेशन सूचना

भूमि विकास, गृहस्थान एवं बाजार योजना (पीनफील्ड टाउनशिप) अयोध्या के सेक्टर-8ए, 8ए एवं 8बी में आन्तरिक सौरव लाइन बिछाये जाने का कार्य, जनपद बाराबंकी के तहसील नवाबगंज के ओबरी योजना में अयोध्या रोड से टेलीकॉम एक्सचेंज तक एवं सेक्टर-5 में प्लॉट नं०- सी०पी०-16/9 से कांशीराम भवनों तक कुंधपाट इन्टरलॉकिंग टाइल्स एवं गाली के मरम्मत / निर्माण के कार्य हेतु दिनांक 07.03.2026, भूमि विकास, गृहस्थान एवं बाजार योजना (पीनफील्ड टाउनशिप) अयोध्या के इनवायमेंट्स क्लियरेंस की कम्प्लायन्स रिपोर्ट सम्बन्धित कन्सल्टेंसी के कार्य हेतु दिनांक 24.02.2026, जनपद बाराबंकी में ओबरी योजना के सेक्टर-5 में अल्प आय वर्ग भवनों के क्षेत्र में अवशेष आन्तरिक विकास कार्य, जनपद गोण्डा में नगर पालिका परिवार, गोण्डा के स्थित लाइन, मौला छावनी स्थित तालाब के सीनरीकरण/विकास कार्य हेतु 28.02.2026, जनपद अमेठी के विकास खण्ड भादर के अनावासीय एवं आवासीय भवनों के अवशेष विकास कार्य के कार्य हेतु दिनांक 14.03.2026 एवं ऑफिस कम्प्लेक्स, अग्रणीय योजना अयोध्या उ०प० आवास एवं विकास परिषद हेतु डी०जी० रोड की आपूर्ति तथा स्थापना से सम्बन्धित कार्य हेतु 28.02.2026 को अंतिम तिथि की गयी है। इस निविदा सूचना से सम्बन्धित शेष नियम व शर्त परिचय की वेबसाइट www.upavp.in तथा एनआईटीसी की वेबसाइट <http://tender.up.nic.in> पर देखी जा सकती है।

अधीक्षण अधिकारी

यूनियन बैंक Union Bank of India
A Government of India Undertaking

वैशाली शाखा (08852)
(पता: भूतल, प्लॉट संख्या 18, सेक्टर-4, वैशाली, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश)

[नियम - 8 (1)] कच्चा सूचना
(अचल संपत्ति के लिए)

जबकि, अधोहस्ताक्षरी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, वैशाली शाखा (08852) (पता: भूतल, प्लॉट संख्या 18, सेक्टर-4 वैशाली गाजियाबाद उत्तर प्रदेश) के अधिकृत अधिकारी होने के नाते, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा सुरक्षा हित प्रवर्तन (द्वितीय) अधिनियम, 2002 (अधिनियम संख्या 54 ऑफ 2002) के तहत तथा सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 की धारा 13(12) के साथ नियम 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 09.12.2025 को एक मॉग सूचना जारी किया, जिसमें निम्नलिखित उधारकर्ताओं/गार्डरों : श्री राजेंद्र नाथ गोस्वामी (उधारकर्ता), पता: ए 137ए, द्वितीय मंजिल, सीआईएसएफ कैंप 5 रिजर्व शिप्रा सनसिटी, इंदिरापुरम, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश 201014, साथ ही: विला संख्या 255, लोटस विला, ग्राम-जलपुरा, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश 201301, श्री मोहन नाथ गोस्वामी (सह-आवेदक), पता: ए 137ए, द्वितीय मंजिल, सीआईएसएफ कैंप 5 रिजर्व, शिप्रा सनसिटी, इंदिरापुरम, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश 201014, को नोटिस में उल्लिखित राशि 20,66,885.34/- रुपये (बीस लाख छियासठ हजार आठ सौ पचासी और चौतीस पैसे मात्र) उक्त नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर चुकाने का आदेश दिया गया था।

ऋणकर्ता द्वारा राशि का भुगतान करने में विफल रहने पर, ऋणकर्ता और आम जनता को सूचित किया जाता है कि उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के साथ नियम 8 के तहत मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधोहस्ताक्षरी ने दिनांक 12.02.2026 को नीचे वर्णित संपत्ति पर कब्जा कर लिया है।

ऋणकर्ताओं को विशेष रूप से और आम जनता को सूचित किया जाता है कि वे संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन-देन न करें और संपत्ति से संबंधित किसी भी प्रकार का लेन-देन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा 20,66,885.34 रुपये और उस पर ब्याज सहित प्रभार के अधीन होगा।

ऋणकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (b) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसमें गिरवी रखी गई संपत्तियों को छुड़ाने के लिए ऋणकर्ताओं को उपलब्ध समय का उल्लेख है।

अचल संपत्ति का विवरण:

विला नंबर 255, लोटस विला में मौजूद आवासीय संपत्ति का वह पूरा हिस्सा, जो मिस्टर राजेंद्र नाथ गोस्वामी और मिस्टर मोहन नाथ गोस्वामी का है, गांव जलपुरा ग्रेटर नोएडा वेस्ट जिला गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश-201301 में है, जिसकी सीमाएं नीचे दी गई हैं: - पूर्व: विला नंबर 256, परिचय: विला नंबर 254, उत्तर: विला नंबर 279, दक्षिण: 7.5एम चौड़ी सड़क

दिनांक: 12.02.2026
स्थान: गाजियाबाद
अधिकृत अधिकारी,
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

इंडियन बैंक Indian Bank
ALLAHABAD

तनावप्रस्त परिसंपत्ति प्रबंधन शाखा
इलाहाबाद बैंक भवन,
प्रथम मंजिल, 17, संसद मार्ग,
नई दिल्ली-110001

संलग्न संका: SAM/ND/2024-25/75 दिनांक: 08.05.2024

सेवा में:

- मेसर्स गर्ग वायर मैनुफैक्चरिंग (ऋण लेने वाली फर्म) मेन समपला बेरी रोड, राठी धर्म कांटा के सामने, ग्राम इमामला रोहताक, इसके स्वामी श्री यशपाल गर्ग के पते पर
- श्री यशपाल गर्ग (स्वामी) मकान संख्या 3, रोड संख्या 29, पूर्वी पंजाबी बाग, नई दिल्ली-110026
- श्रीमती रेवा गर्ग (गार्डर) मकान नंबर 3, रोड नंबर 29, इंट पंजाबी बाग, नई दिल्ली-110026

जानबूझकर डिफॉल्टर खाता घोषित करने हेतु कारण बताओ नोटिस :
मेसर्स गर्ग वायर मैनुफैक्चरिंग शाखा: एसएमएम शाखा, नई दिल्ली
(मूल शाखा: गुरुद्वारा रोड, गुड़गांव)

प्रिय महोदय,
आपके अनुरोध पर, बैंक ने गुरुद्वारा रोड, गुड़गांव स्थित अपने कार्यालय के माध्यम से तार निर्माण के व्यवसाय के लिए एकल बैंकिंग व्यवस्था के तहत मेसर्स गर्ग वायर मैनुफैक्चरिंग को 5.64 करोड़ रुपये की ऋण राशि स्वीकृत की थी। इस ऋण में प्रथम ऋणकर्ता फर्म है, दूसरा फर्म के गारंटर (प्रमुख) और तीसरा फर्म के गार्डर (गार्डर) शामिल हैं और उन्होंने दस्तावेज/समाप्ति निष्पादित किए थे। ऋणधारक ने स्वीकृति की शर्तों के अनुसार बैंक को भुगतान/पुनर्भुगतान दायित्वों को पूरा करने में चूक की है। हमारे सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद, ऋणधारक ने जानबूझकर खाते को निष्पादित नहीं किया और अंततः आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, उपरोक्त खाते को 09.02.2020 को नई-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीआई) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। बैंक ने खाते के संतुलन में कई कटौतियाँ और स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन न करने के मामले भी देखा है, विशेष रूप से निम्नलिखित मामले, जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जानबूझकर चूककर्ता घोषित करने के लिए निष्पादित चार कार्यों में से हैं।

| क्र. सं. | मालिक/गार्डर का नाम | कुल संपत्ति | दिनांक तक |
|----------|----------------------------|--------------|------------|
| 1. | श्री यश पाल गर्ग (मालिक) | 14.41 | 06.08.2019 |
| 2. | श्रीमती रेवा गर्ग (गार्डर) | 0.30 | 06.08.2019 |
| | कुल | 14.71 | |

इससे स्पष्ट रूप से पता चलता है कि क्षमता होने के बावजूद उधारकर्ता/गार्डरधारक ने बैंक का बकाया स्वच्छता से नहीं चुकाया है। उधारकर्ता फर्म मेसर्स गर्ग वायर मैनुफैक्चरिंग को स्टॉक के निरवधि रखने के आधार पर गारंटीकृत पूंजी सीमा के रूप में 5.50 करोड़ रुपये की नकद ऋण सीमा स्वीकृत की गई थी। इसके अलावा, फर्म द्वारा प्रस्तुत 31.03.2019 की अंतिम बैलेंस शीट के अनुसार, कुल स्टॉक का मूल्य 8.85 करोड़ रुपये था। हालांकि, जब बैंक के अधिकारी ने 01.02.2023 को मौलिक कबजे के लिए इकाई के पते का दौरा किया, तो इकाई में कोई स्टॉक उपलब्ध नहीं था। 31.03.2019 से अब तक खाते में कुल लेनदेन इस प्रकार है:

| 01.04.2019 से आज तक | क्रेडिट टर्नओवर | ड्रेडिट टर्नओवर | अंतर |
|---------------------|-----------------|-----------------|------|
| | 11.83* | 12.98 | 0.84 |

*संपत्ति और मशीनरी की बिक्री से प्राप्त 4.17 करोड़ रुपये की राशि को छोड़कर

उपरोक्त तालिका में उल्लिखित अवधि के दौरान क्रेडिट टर्नओवर 11.83 करोड़ रुपये है और ड्रेडिट राशि 12.98 करोड़ रुपये है, जिससे खाते में बकाया राशि **6.44 करोड़ रुपये (6.44 - 4.17 करोड़ = 2.25 करोड़ रुपये)** हो जाती है। इस 6.44 करोड़ रुपये की राशि के लिए, संबंधित स्टॉक विवरण होना चाहिए। लेकिन चूँकि उधारकर्ता ने इकाई बंद कर दी है, इसलिए उपरोक्त स्टॉक वेच दिया है और प्राप्त राशि ऋण खाते में जमा नहीं की गई है, जिससे धनराशि का दुरुपयोग हुआ है।

ऋण लेने वाली फर्म और उसके स्वामी/गार्डरधारक द्वारा जानबूझकर चूक करने के उपरोक्त साक्ष्य की जांच बैंक की कार्यकारी निदेशक की अध्यक्षता वाली जानबूझकर चूककर्ता स्लीपिंग समिति द्वारा की गई है। समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि जानबूझकर चूक की घटना घटित हुई है। ध्यान दें कि आरबीआई के दिशानिर्देशों के मद्देनजर, उपरोक्त कारणों से बैंक द्वारा ऋण लेने वाली फर्म मेसर्स गर्ग वायर मैनुफैक्चरिंग, उसके स्वामी श्री यश पाल गर्ग और गार्डरधारक श्रीमती रेवा गर्ग को जानबूझकर चूककर्ता घोषित करने का प्रस्ताव किया गया है। यदि आप चाहें, तो आप इस पत्र की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर इस संबंध में बैंक को अन्यावेदन/प्रस्तुति दे सकते हैं। इसके अलावा, यदि आप चाहें, तो व्यक्तिगत सुनवाई भी दी जा सकती है। कृपया ध्यान दें कि यदि निर्धारित अवधि के भीतर कोई अन्यावेदन और/या उक्त व्यक्तिगत सुनवाई के लिए कोई अनुरोध प्राप्त नहीं होता है या बैंक, उधारकर्ता फर्म और उसके स्वामी/गार्डरधारक के नाम को जानबूझकर डिफॉल्टर घोषित करने और आरबीआई, सीआईबीएल तथा अन्य क्रेडिट सूचना कंपनियों को सूचित करने के अपने निर्णय पर आगे बढ़ेगा तथा उचित कानूनी कार्रवाई भी करेगा।

शाखा प्रमुख
विलफुल डिफॉल्टर स्लीपिंग कमेटी (डब्ल्यूडीएससी) के लिए

UFLEX यूप्लैक्स लिमिटेड
A part of your daily life'
CIN : L74899DL1988PLC032166

पंजीकृत ऑफिस : 305, टीएनपी मंजिल, भागोद कॉम्प्लेक्स, एम्प्लेक्स एम्प्लेक्स, ग्रेटर कैलाश-1, नई दिल्ली, 110048
फोन नं: +91-11-26440917, 26440925 फैक्स नं: +91-11-26216922 वेबसाइट: www.uflexltd.com ई-मेल: secretarial@uflexltd.com

31.12.2025 को समाप्त तिमाही एवं नौ माह के अनअंकेक्षित समेकित एवं स्टैंडअलोन वित्तीय परिणाम
(₹ लाखों में)

| क्र. सं. | विवरण | समेकित | | | | | |
|----------|--|---|---|---|---|---|---|
| | | 31.12.2025 को समाप्त तिमाही (अनअंकेक्षित) | 30.09.2025 को समाप्त तिमाही (अनअंकेक्षित) | 31.12.2024 को समाप्त तिमाही (अनअंकेक्षित) | 31.12.2025 को समाप्त तिमाही (अनअंकेक्षित) | 31.12.2024 को समाप्त तिमाही (अनअंकेक्षित) | 31.03.2025 को समाप्त तिमाही (अंकेक्षित) |
| 1. | कुल आय | 363285 | 386098 | 377747 | 1141568 | 1132258 | 1519927 |
| 2. | अवधि के लिए कर पूर्व लाभ | | | | | | |
| 3. | असाधारण मदों से पहले | 6430 | 4122 | 15051 | 19877 | 32660 | 44140 |
| 4. | असाधारण मद (विस्तृत वित्तीय परिणामों के लिए नोट सं० 6' देखें) | 1245 | — | (2565) | 1245 | 24774 | 17778 |
| 5. | अवधि के लिए कर पूर्व लाभ / (हानि) | 5185 | 4122 | 17616 | 18632 | 7886 | 26362 |
| 6. | संतुल्य रूप से नियंत्रित संस्थाओं और सहयोगियों का हिस्सा (हानि) | (276) | (344) | (324) | (1011) | (1262) | (1552) |
| 7. | अवधि के लिए संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं और सहयोगियों का हिस्सा (हानि) पश्चात् शुद्ध लाभ / (हानि) | 3610 | 2685 | 13681 | 12093 | (2620) | 14236 |
| 8. | अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) गैर-नियंत्रित हित के पश्चात् | 3615 | 2691 | 13682 | 12108 | (2625) | 14232 |
| 9. | अवधि के लिए कुल व्यापक आय / (हानि) (हानि) निम्नानुसार संबंधित | 9922 | 13935 | 1411 | 45192 | (8814) | 17876 |
| | होस्टिंग कंपनी का स्वामित्व | 9927 | 13941 | 1412 | 45207 | (8819) | 17872 |
| | गैर-नियंत्रित हित | (5) | (6) | (1) | (15) | 5 | 4 |
| 10. | समतुल्य अंश पूंजी | 7221 | 7221 | 7221 | 7221 | 7221 | 7221 |
| 11. | अन्य समतुल्य, गैर-नियंत्रित हित के अतिरिक्त, पूर्व वर्ष के तुलन पत्र के अनुसार | 731505 | 731505 | 714356 | 731505 | 714356 | 731505 |
| | प्रति शेयर आय (₹ में) (अवार्धिकृत) | 5.01 | 3.73 | 18.95 | 16.77 | (3.64) | 19.71 |
| | मूल तरल | 5.01 | 3.73 | 18.95 | 16.77 | (3.64) | 19.71 |

स्टैंडअलोन

| क्र. सं. | विवरण | 31.12.2025 को समाप्त तिमाही (अनअंकेक्षित) | 30.09.2025 को समाप्त तिमाही (अनअंकेक्षित) | 31.12.2024 को समाप्त तिमाही (अनअंकेक्षित) | 31.12.2025 को समाप्त तिमाही (अनअंकेक्षित) | 31.12.2024 को समाप्त तिमाही (अनअंकेक्षित) | 31.03.2025 को समाप्त तिमाही (अंकेक्षित) |
|----------|-------|---|---|---|---|---|---|
| 1. | | | | | | | |